मानवाधिकार, कर्तव्य और जैन धर्म

लेखक

वैज्ञानिक संत
आचार्य श्री निर्भयसागर

सम्पादक

डॉ. आशीष कुमार जैन ''शिक्षाचार्य''
डॉ. अभिषेक कुमार जैन ''शिक्षाचार्य''
एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, म.प्र.

कृति : **मानवाधिकार, कर्तव्य और जैन धर्म**

लेखक : **वैज्ञानिक संत आचार्य निर्भयसागर**

सम्पादक : **डॉ. आशीष कुमार जैन ''शिक्षाचार्य''**
डॉ. अभिषेक कुमार जैन ''शिक्षाचार्य''
एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, म.प्र.

प्रकाशक : **एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, म.प्र.**

प्राप्ति स्थल : निर्भयसागर तपोवन धार्मिक ट्रस्ट एन.एस.–26
बहेरिया, हाईवे, सिद्धगुवां, सागर, म.प्र

मुद्रण : जैन ब्रदर्स 16/873 ईस्ट पार्क रोड करोल बाग,
नई दिल्ली

अंग्रेजी अनुवाद : श्री आर. के. जैन, नोएडा

ISBN: 978-93-343-0393-3

सम्पादकीय

जैन संस्कृति में आद्य पुरस्कर्ता भगवान ऋषभदेव ने युग के आदि में मानव के मानवाधिकार, कर्त्तव्य और धर्म की आवश्यकता पर सर्व प्रथम प्रकाश डाला और मानव कल्याण के लिए मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प का ज्ञान प्रदान किया। बाल अधिकार और महिला अधिकारों को प्रवाहमान करने के उद्देश्य से ब्राह्मी और सुन्दरी को अंक तथा लिपि का ज्ञान और भरतादि 100 पुत्रों को अलग–अलग विद्याओं–कलाओं और कर्त्तव्यों का ज्ञान प्रदान किया।

वहीं आपने प्रजा के पालनार्थ मनुष्यों को इक्षु की खेती करने और उसके रस संग्रह करने का प्रथम उपदेश देने के कारण जगत् ने आपको **''इक्ष्वांकु''** नाम से पुकारा और इस तरह इक्ष्वाकु वंश का प्रारम्भ हुआ। इसी वंश की दो प्रमुख शाखाएं आगे चलकर सूर्यवंश और चन्द्रवंश के नाम से ख्यात हुई। यह तथ्य केवल जैन पुराण ही नहीं अपितु वैदिक पुराण भी स्वीकार करते हैं।

आपने राज्य संचालन के समय चार मुख्य राजाओं को महामण्डलेश्वर नियुक्त किया। जिनमें सोमप्रभ राजा को कुरूवंश का शिरोमणि, राजा हरिकान्त को हरिवंश का अधिपित, राजा अकम्पन को नाथवंश का नायक और राजा कश्यप को उग्रवंश का अधिपति घोषित किया।

जैन हरिवंशपुराण एवं पद्मपुराण के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के प्रथम पुत्र अर्ककीर्ति द्वारा सूर्यवंश और बाहुबली के पुत्र सोमयश द्वारा सोमवंश अपर नाम चन्द्रवंश का प्रारम्भ हुआ। इक्ष्वांकु वंश की परम्परा में कुरूवंश, हरिवंश, नाथवंश, उग्रवंश, मातंगवंश, यदूवंश, वृष्णिवंश, चेदिवंश, सूर्यवंश, रघुवंश, राक्षवंश, वानरवंश, विद्याधर वंश, श्रीवंश आदि वंशों में अनेकानेक राजा उत्पन्न हुए। जैन धर्म के अनुसार महापुराण में कहा है कि प्रथम तीर्थ के कर्त्ता ऋषभदेव, प्रथम चक्रवर्ती भरतेश, दान तीर्थ प्रवर्तक श्रेयांस व स्वयंवर विधि के प्रवर्तक महाराज अकम्पन कहे गए है। अतः मानवाधिकार न्याय व्यवस्था, मानवाधिकार और कर्त्तव्यों का प्रवाह ऋषभ देव से प्रवाहमान हुआ है।

मूल बात यह है कि कुलकरों, तीर्थंकरों, जैना आचार्यों ने राजनैतिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी और अधिकरों को पाने के लिए किसी से मांग नही रखी परन्तु अधिकारों का महत्व, अवधारणा, अर्थ, उपयोगिता की शिक्षा, जीवन कौशल, सुरक्षा और न्याय की रक्षा के उद्देश्य से जन समान्य को दी है।

मानवाधिकार वे अधिकार है जो हमें सिर्फ इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं – ये किसी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते। ये सार्वभौमिक अधिकार हम सभी में निहित है, चाहे हमारी राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या कोई स्थिति कुछ भी हो। ये अधिकार सबसे बुनियादी अधिकार – जीवन के अधिकार – से लेकर उन अधिकारों तक है जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में स्वीकृत मानवाधिकारों की सार्वभौतिक घोषण (युडीएचआर), सार्वभौमिक रूप से संरक्षित मौलिक मानवाधिकारों को निर्धारित काने वाला पहला कानूनी दस्तावेज कानूनों का आधार बना हुआ है। इसके 30 अनुच्छेद वर्तमान और भविष्य के मानवाधिकार सम्मेलनों, संधियों और अन्य कानूनी प्रावधानों के सिद्धांत और आधारशिला प्रदान करते हैं।

आचार्य श्री के द्वारा सन् 2014 के नौगामा, बांसवाड़ा राजस्थान में प्रवास के दौरान **मानवाधिकार, कर्त्तव्य और जैन धर्म विषय पर** दिये गए 86 विषयों पर आचार्य श्री ने विशेष विमर्श और नूतन चिंतन जैन धर्म शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में शोध परक चिंतन, प्रवचनांशों के परिणाम स्वरूप इस ग्रन्थ की विषय वस्तु को पांच खण्डों में विभाजित कर प्रस्तुत किया है। जिसका प्रतिपाद्य इस प्रकार है–

प्रतिपाद्य :

मानवाधिकार, कर्त्तव्य और जैन धर्म नामक पुस्तक के लेखक वैज्ञानिक संत दिगम्बरचार्य 108 निर्भयसागर जी है। जिन्होंने अथक प्रयायों से इस पुस्तक का लेखन जन कल्याणार्थ और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करनें के उद्देश्य से किया है। यह ग्रन्थ 5 खण्डों में विभक्त है जिसमें जैन धर्म में वर्णित मानव अधिकार और कर्त्तव्य को 86 विशिष्ट बिन्दुओं के आधार पर जन सामान्य के समक्ष भारतीय संविधान तथा जैन धर्म के संविधान के परिप्रेक्ष्य में उनकी वर्तमान में उपादेयता और दूरदर्शिता को परिलक्षित किया गया है।

वे पांच खण्ड इस प्रकार हैं– मानवाधिकारों का इतिहास, महत्व और विकास, कर्त्तव्य, कानून और संविधान, जैन संविधान, अधिकार और आध्यात्म, पुरूष, अर्थ और पुरूषार्थ का स्वरूप, धर्म संस्कृति, संस्कार और शान्ति आदि है।

प्रथम खण्ड– मानवाधिकारों का इतिहास महत्त्व्य और विकास

मानवीय अधिकारों का इतिहास, मानवीय अधिकारों का महत्व, मानव अधिकारों की अवधारणा, मानव अधिकार का अर्थ, मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा, मानवाधिकारों का उद्देश्य और विकास, कर्म भूमि की स्थापना, दिगम्बर दीक्षा का अधिकार, धर्म– कर्म करने का अधिकार, सल्लेखणा मरण अधिकार, राजा के अधिकार कर्त्तव्य और गुण, प्रजा और राजा के मध्य अधिकार कन्या विवाह अधिकार, नैतिक अधिकार मानवाधिकरों का वर्गीकरण, मानव का अर्थ, महिला मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकारों का उदय एवं विकास, बाल अधिकार, जैन धर्म में बाल अधिकार, संयुक्त राष्ट्र और बाल कोष, पिछड़े वर्गों के अधिकार, अनुसूचित जनजातियों के अधिकार, अधिकार देने के नियम कानून, जैन धर्म में नीच गोत्र बनाम दलित, विकलांगों के अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वरा अधिकारों की घोषणा, बंदियो के अधिकार शरणार्थियों के अधकार, विस्थापितों के अधिकार और समस्या, मानवाधिकों का भविष्य आदि 31 बिन्दुओं आचार्य श्री निर्भयसागर जी ने सरल भाषा में प्रस्तुत किया है।

द्वितीय खण्ड– कर्त्तव्य, कानून और संविधान

कर्त्तव्य का अर्थ, भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्य, मानवीय कर्त्तव्यों का वर्गीकरण, अधिकार एवं कर्त्तव्य, कानून और कर्त्तव्य, संविधान का अर्थ और उद्देश्य, भारतीय का इतिहास और क्रमिक विकास, वर्तमान भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय, आचार संहिता और नागरिकता, नागरिक का अर्थ आदि 11 प्रमुख बिन्दुओं के माध्यम से जन सामान्य को मानवाधिकारों का ज्ञान संविधान के परिप्रेक्ष्य में किया है।

तृतीय खण्ड– जैन संविधान, अधिकार और आध्यात्म

जैन संविधान की ऐतिहासिक भूमिका, पिता, पुत्र विभागाधिकार, विवाह संबंध अधिकार, संपत्ति विभागाधिकार, माता के संपत्तिधिकार, बहिन के संपत्तिधिकार, अध्यात्म और अधिकार, अध्यात्म का अर्थ, अध्यात्म विरोधी तत्व, समाज व्यवस्था के सूत्र, सत् साहित्य और अध्यात्म, नारी और अध्यात्म, मनुष्य का उचित आहार, मनुष्य की प्रकृति और 14 बिन्दुओं के माध्यम से जैन संविधान आदि तथ्यों का विवेचन लेखक आचार्य निर्भयसागर जी ने किया है।

चतुर्थ खण्डः पुरूष अर्थ और पुरूषार्थ में जैन धर्म के मूल सिद्धान्त, भाग्य से बड़ा पुरूषार्थ, धर्म पुरूषार्थ कब और कैसे, अर्थ पुरूषार्थ कब और कैसे, अर्थोपार्जन के साधन, अर्थशास्त्र और सप्तशील व्रत, गरीबी बेरोजगारी और आर्थिक विकास, मन का स्वरूप और कार्य आदि विविध 8 बिन्दुओं पर विशेष चिंतन किया गया है।

पंचम खण्डः धर्म, संस्कृति, संस्कार और शान्ति में सस्कृति और संस्कार, परिवर्तन और नयापन, गरीबी तथा अमीरी वरदान कौन, संसार में विद्यमान शक्तियां, दुःख और अशान्ति का स्रोत, शान्ति में संतों का योगदान, स्वतंन्त्रता और निराकुलता, धर्म, विज्ञान और शान्ति, हिंसा और मानवाधिकार धर्म जाति और पथ निरपेक्षता, सुख और विकास, व्यक्ति और समाज, विज्ञान शान्ति भावना, अनुप्रेक्षा और शान्ति, अनेकान्त और अहिंसा, हिंसादि पाप हत्या व परिणाम्, युवा शक्ति अधिकार और कर्त्तव्य, परिवार

की उपादेयता, दाम्पत्य जीवन और अशान्ति, पारिवारिक हिंसा ओर अशान्ति के कारण, जैन धर्म में पर्यावरण संरक्षण, सप्तव्यसन त्याग का सिद्धांत, सफलता प्राप्ति के उपाय आदि 24 विषयों पर उपादेय चिंतन किया है।

आचार्य नेमिचन्द सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोम्मटसार जीव काण्ड में मनुष्य को परिभाषित किया गया है–

मण्णंति जदा ण्च्चं, मणेण णि उणा मणुक्कडा जम्हा।
मण्णुम्मवा य सव्वे, तम्हा ते माणुसा भणिदा

जो हमेशा हेय– उपादेय को जानते हैं, शिल्प वाणिज्य और कलाओं में प्रवीण हैं तत्व के धारणा आदि का दृढ़ उपयोग वाले है और जो मनु अर्थात् कुलकरों की संतान है वही मनुष्य कहलाते हैं।

कर्त्तव्य परायणता और अधिकारों से मनोवांछित गुणों का विकास होता है। मृत्यु लोक को स्वर्ग से भी बढ़कर कहा है क्योंकि इस मनुष्य लोक में जितने अधिकार मनुष्य को प्राप्त है और कर्तव्य निभाने की छूट दी गई है उतनी स्वर्ग लोक के देवों को नहीं दी गई है। मानव जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए कुछ आध्यात्मिक मानवीय अधिकारों का वर्णन जैन शास्त्र परम्परा में प्राप्त होता है। यथा– जीवन जीने का अधिकार, स्व–परोपकार, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, अनुकम्पा, करूणा, माध्यस्थ भावना, क्षमादि दश धर्म भावना, दान, पूजा, प्रेम, वात्सल्य, दर्शन, विनय, ज्ञानाभ्यास, तप, संयम, विचाराभिव्यक्ति, दिगम्बर दीक्षा का अधिकार, मोक्ष प्राप्ति का अधिकार आदि अनेक अनेक अधिकार है।

आचार्य निर्भयसागर जी ने अपने धर्म, विज्ञान, समाज और न्याय आदि अनेक विषयों के अध्ययन और जीवन के अनुभवों के आधार पर इस कृति का लेखन कार्य किया है। हमें इस कृति का सम्पादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह हमारे जीवन का अच्छा अनुभव रहा, इस पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाने के लिय इसका अंग्रेजी मे अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। अनुवाद श्रीमान् आर. के. जैन, नोएडा द्वारा किया गया है, हम उनका धन्यवाद करते है।

सम्पादन कार्य में त्रुटियां संभव है, विद्वानों और विषय विशेषज्ञों से आग्रह है कि हमें सूचित करें जिससे इसे अगले संस्कारण में सुधार किया जा सकें।

सम्पादक द्वय

डॉ. आशीष कुमार जैन ''शिक्षाचार्य''
डॉ. अभिषेक कुमार जैन ''शिक्षाचार्य''
एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, म.प्र.